तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रति० का कथन है, कि वादीगण द्वारा आपसी सहमति का राजीनामा इस तरह से अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 को देने की सहमति जाहिर की है। वादीगण ने स्वेच्छा से अपना हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 को सौंप दिया है। अतः वादीगण के हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज फरमाई जावे। वादग्रस्त भूमि से वादीगण का नाम हटाया जाकर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज की जावे। वकील वादीगण का कथन है, कि वादीगण द्वारा प्रति० नं० 1 से बाहमी राजीनामा कर लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर दिया है। राजीनामा अनुसार वाद का निस्तारण कर दिया जावे। हमने पत्रावली का भली भाँति अवलोकन किया। वादीगण के वादपत्र, प्रतिवादीगण के जवाब एवं उभयपक्ष द्वारा वादपत्र एवं जवाब मय काउंटर क्लेम में अंकित रिलीफ का सम्यक अवलोकन कर विचार किया। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति का लिखित राजीनामा पेश कर दिये जाने से पक्षकारान के मध्य समस्त 15/10/19	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवाधक बिन्दुओं का अवसान हो चुका है। अतः प्रकरण में विवाधक बिन्दुवार विवेचन की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्श-1 नकल जमाबन्दी ग्राम मोलू खसरा नं० 314, 315 किता 2 रकबा 2.87 हेक्टर भूमि वादीगण हि० 1/3 व कमल किशोर राजकिशोर पुत्र नवल किशोर हि० 2/3 के नाम पर दर्ज थी, जो जरिये बैनामा बायान नम्बर 773/236 (20.6.12) से कमलकिशोर व राजकिशोर का हिस्सा 2/3 प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि हि० 1/2 वादीगण के तथा हिस्सा 2/3 प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। चूंकि वादग्रस्त भूमि के क्रम में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य बैनामा बाबत इकरारनामे पूर्व में किये जा चुके हैं। उक्त इकरारनामों पर पूर्व में निर्णय तथा उनकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा सुनी जा चुकी थी इस कारण उन पर अन्य विवेचन अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में एक पक्ष वादीगण है, जो काउंटर क्लेम अनुसार अपना हक प्रति० नम्बर 1 को देना चाहते हैं। प्रकरण का दूसरा पक्ष प्रतिवादी नं० 1 जो अपने नाम पर वादीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज करवाना चाहता थी इस पर दोनों पक्षों में दूर्ज	

15/10/...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सहमति है।	

परन्तु इस प्रकार खातेदारी स्वत्व या नाम परिवर्तन के प्रकरण के तीसरे पक्ष जो कि प्रतिवादी नम्बर 3 (राज्य सरकार) है, को राजस्व हानि होना संभाव्य है। हानि की पूर्ति किया जाना आवश्यक है।

चूंकि हस्ब राजीनामा उभयपक्ष के मध्य विवादित बिन्दुओं का अवसान हो चुका है, अतः हस्ब राजीनामा वाद वादीगण खारिज तथा काउंटर क्लेम प्रतिवादी अंशतः स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण उपरोक्त के आधार पर खारिज तथा काउंटर क्लेम प्रति० अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भोलू ख० नं० 314, 315 किता 2 रकबा 2.87 है० का हिस्सा 1/3 वादीगण के नाम से हटाया जाकर प्रतिवादी नं० 1 के नाम दर्ज किया जावे। इस क्रम में सरकार को देय स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क प्रतिवादी नं. 1 से वसूल करने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया।

15/10/19

(चिमनलाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

Yud I/Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंजमण्डी
व इजलास— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

राकेश कुमार —बनाम— दुर्गाबाई

दावा बाबत— 88-89-53 R.T.A. 1955

मुकद्दमा नं.— 32 —सन्— 2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी— श्री घनश्याम धाकड़ —मिनजानिब मुद्दई व— श्री म.प्र. सोनी, श्री के.के. अहीर एड.

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादीगण खारिज तथा काउन्टर क्लेम प्रति० अशत: स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भोलू ख० नं० 314, 315, किता 2 रकबा 2.87 हे. का हिस्सा 1/3 वादीगण के नाम से हटाया जाकर प्रति० नं० 1 के नाम दर्ज किया जावे। इस क्रम में सरकार को देय स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क प्रतिवादी नं० 1 से वसूल करने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

चीज— × —मुबलिग— × —बाबत— ×

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— × —फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक— × —को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 15 —माह— 10 —2019 को जारी की गई।

दस्तखत— [signature] 15/10/19
ओहदा— उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प बजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर ..			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक ..					
मीजान..	–	–	मीजान..		–

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो.-40-2004-1,00,000 प्र.

[signature] 15/10/19
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner